न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 173 सन 2022

अनवान :–

1. गणपतदास पुत्र चन्दुदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. नोरगदास पुत्र चन्दुदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. भागीरथदास पुत्र सेवादास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
3. नानु पत्नी ईशरदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
4. प्रताप पुत्र ईशरदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
5. गंगा राम पुत्र चिमनदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
6. इन्द्राज पुत्र चिमनदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
7. जय नारायण पुत्र चिमनदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
8. शान्ती पत्नी चिमनदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
9. सरबती पुत्री चिमनदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
10. मोहरा पुत्री चिमनदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
11. रेशमा पुत्री चिमनदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
12. सीता पुत्री चिमनदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
13. किस्तुरी पुत्री चुन्दुदास उर्फ चन्द्रदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
14. रूपा पुत्री चन्दुदास उर्फ चन्द्रदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 06/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 40/47 की कुल 26.3910हैक व रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 179/46 की कुल 9.4340हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज चन्दुदास पुत्र देवादास के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि चन्दुदास पुत्र देवादास के वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 एव भागादेवी के नाम से दर्ज हुई है भागादेवी का भी देहान्त हो गया है जिसके भी जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो भागादेवी के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 एवं भागादेवी के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 13 ता 14 वादी की बहने है एवं भागादेवी एवं चन्दुदास की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 13 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जो एक ही परिवार के सदस्य है ने आपसी सहमति से भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा व बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner

दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1त ा 4 एव भागादेवी के नाम दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उनके पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 एव भागादेवी के नाम दर्ज हुई है तथा भागादेवी का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 13 ,14 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईया/भतिजे/भतिजियों के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने निवेदन किया की उन्होने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने चाहते है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के बाहमी बटवारा वादी की मद संख्या 4 के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 15 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 40/47 की कुल 26.3910हैक व रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 179/46 की कुल 9.4340हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज चन्दुदास पुत्र देवादास के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि चन्दुदास पुत्र देवादास के वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 एव भागादेवी के नाम से दर्ज हुई है भागादेवी का भी देहान्त हो गया है जिसके भी जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो भागादेवी के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 एवं भागादेवी के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 13 ता 14 वादी की बहने है एवं भागादेवी एवं चन्दुदास की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 13 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जो एक ही परिवार के सदस्य है ने आपसी सहमति से भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 40/47 की कुल 26.3910हैक व रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 179/46 की कुल 9.4340हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज चन्दुदास पुत्र देवाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 एव भागादेवी के नाम से दर्ज हुई थी एव भागादेवी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 है जो विरास्तन से भूमि पाने के अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 13 ता 14 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 13 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है ।

वादी का कथन है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के बाहमी बटवारा वाद की मद संख्या 4 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 13 ता 14 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 40/47 की कुल 26.3910 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2, 13 व 14 का नाम कलमजन किया जाकर खसरा नं. 119 की 0.708 है0 भूमि व खसरा नं. 7 की मिन उत्तर की 2.526 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के ब0 हि0 ब0 के व खसरा नं. 7 के मिन उत्तर की 2.526 है0 भूमि छोड़कर 3.234 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व इसी खसरा की 5.076 है0 उक्त उत्तरी दिशा की भूमि को छोड़कर 3.234 है0 भूमि वादी व इसी खसरा की शेष मिन दक्षिण की 3.234 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 के ब0 हि0 ब0 के तथा खसरा नं. 127 की मिन उत्तर की 1.35 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 के ब0 हि0 ब0 के व खसरा नं. 127 के मिन उत्तर की 1.35 है0 भूमि को छोड़कर 1.35 है0 भूमि वादी को व इसी खसरा की मिन उत्तर की

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner

उक्त 2.700 है0 भूमि छोड़कर 1.35 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के ब0 हि0 ब0 के व शेष मिन दक्षिण की भूमि 1.35 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा खसरा नं. 177 की मिन पूर्व की 2.0138 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 के ब0 हि0 ब0 के व इसी खसरा की मिन पश्चिम की 1.5272 है0 भूमि वादी को व खसरा नं. 78 की उत्तरी पश्चिमी कोना की 0.4866 है0 भूमि का वादी व इसी खसरा की 0.4866 है0 उत्तरी पश्चिम कोना को छोड़कर 2.0137 है0 दक्षिण पश्चिम भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के ब0 हि0 ब0 के व इस खसरा की शेष मिन पूर्व की 2.0137 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम चन्द्रदारा की जगह चन्दुदास दर्ज किया जाता है व रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 179/46 के खसरा नं. 59 की कुल 9.4340 है0 भूमि में मृतक ईशरदास पुत्र चन्दुदास व वादी की मृतक माता भागा पत्नी चन्दुदास का नाम कलमजन किया जाकर खसरा नं. 59 के मिन उत्तर की 5.9455 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 तथा शेष भूमि में से पूर्वी दक्षिणी कोना की 0.8722 है0 भूमि वादी व इसके पश्चिम में चिपती हुई 0.8721 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 के ब0 हि0 ब0 व इसके पश्चिम की 0.8721 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को व शेष दक्षिणी पश्चिमी कोना की 0.8721 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के ब0 हि0 ब0 का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 का नाम भागीरथ के स्थान पर भागीरथ दास संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. गणपतदास पुत्र चन्दुदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 नोरगदास पुत्र चन्दुदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. भागीरथदास पुत्र सेवादास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
3. नानु पत्नी ईशरदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
4. प्रताप पुत्र ईशरदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
5. गंगा राम पुत्र चिमनदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
6. इन्द्राज पुत्र चिमनदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
7. जय नारायण पुत्र चिमनदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
8. शान्ती पत्नी चिमनदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
9. सरबती पुत्री चिमनदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
10. मोहरा पुत्री चिमनदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
11. रेशमा पुत्री चिमनदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
12. सीता पुत्री चिमनदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
13. किस्तुरी पुत्री चुन्दुदास उर्फ चन्द्रदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. रूपा पुत्री चन्दुदास उर्फ चन्द्रदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 173 सन 2022 निर्णय दिनांक– 04/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 40/47 की कुल 26.3910 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2, 13 व 14 का नाम कलमजन किया जाकर खसरा नं. 119 की 0.708 है0 भूमि व खसरा नं. 7 की मिन उत्तर की 2.526 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के ब0 हि0 ब0 के व खसरा नं. 7 के मिन उत्तर की 2.526 है0 भूमि छोड़कर 3.234 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व इसी खसरा की 5.076 है0 उक्त उत्तरी दिशा की भूमि को छोड़कर 3.234 है0 भूमि वादी व इसी खसरा की शेष मिन दक्षिण की 3.234 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 के ब0 हि0 ब0 के तथा खसरा नं. 127 की मिन उत्तर की 1.35 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 के ब0 हि0 ब0 के व खसरा नं. 127 के मिन उत्तर की 1.35 है0 भूमि को छोड़कर 1.35 है0 भूमि वादी को व इसी खसरा की मिन उत्तर की उक्त 2.700 है0 भूमि छोड़कर 1.35 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के ब0 हि0 ब0 के व शेष मिन दक्षिण की भूमि 1.35 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा खसरा नं. 177 की मिन पूर्व की 2.0138 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 के ब0 हि0 ब0 के व इसी खसरा की मिन पश्चिम की 1.5272 है0 भूमि वादी को व खसरा नं. 78 की उत्तरी पश्चिमी कोना की 0.4866 है0 भूमि का वादी व इसी खसरा की 0.4866 है0 उत्तरी पश्चिम कोना को छोड़कर 2.0137 है0 दक्षिण

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner

पश्चिम भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के ब0 हि0 ब0 के व इस खसरा की शेष मिन पूर्व की 2.0137 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम चन्द्रदास की जगह चन्दुदास दर्ज किया जाता है व रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 179/46 के खसरा नं. 59 की कुल 9.4340 है0 भूमि में मृतक ईशरदास पुत्र चन्दुदास व वादी की मृतक माता भागा पत्नी चन्दुदास का नाम कलमजन किया जाकर खसरा नं. 59 के मिन उत्तर की 5.9455 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 तथा शेष भूमि में से पूर्वी दक्षिणी कोना की 0.8722 है0 भूमि वादी व इसके पश्चिम में चिपती हुई 0.8721 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 के ब0 हि0 ब0 व इसके पश्चिम की 0.8721 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को व शेष दक्षिणी पश्चिमी कोना की 0.8721 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के ब0 हि0 ब0 का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 का नाम भागीरथ के स्थान पर भागीरथ दास संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner